प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
बेसिक शिक्षा विभाग।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

2. मुख्य विकास अधिकारी
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

3. प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

4. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ, दिनांकः 20 ~~जून~~ जुलाई, 2023

विषयः टाइम एण्ड मोशन स्टडी के आधार पर निर्धारित विद्यालय पंजिकाओं के डिजिटाइजेशन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक टाइम एण्ड मोशन स्टडी के आधार पर शैक्षणिक कार्यों से संबंधित शासनादेश संख्या-867/68-5-2020 दिनांक 14 अगस्त, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,जिसके माध्यम से टाइम एण्ड मोशन स्टडी के आधार पर शैक्षणिक कार्यों के लिये समय अवधि एवं कार्य निर्धारण के साथ-साथ विद्यालय स्तर पर व्यवहृत की जाने वाली पंजिकाओं के रख-रखाव के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या-06 "पंजिकाओं का रखरखाव" के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर प्रयोग में लाये जाने हेतु 14 पंजिकायें निर्धारित की गई हैं।

2. उक्त पंजिकाओं के रखरखाव एवं अद्यतन किये जाने के संबंध में समग्र शिक्षा, राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक-गुण०वि०/टाइम एण्ड मोशन/11312/2020-21 दिनांक 31 मार्च, 2021 द्वारा समस्त पंजिकाओं का विवरण उपलब्ध कराते हुये विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये गये हैं। उक्त पत्र द्वारा आय-व्ययक पंजिका एवं चेक इश्यू पंजिका को समेकित करते हुये एक पंजिका निर्मित किये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया है। अवगत कराना है कि शिक्षक डायरी शिक्षकों द्वारा साप्ताहिक शिक्षण योजना बनाने एवं तद्नुसार शिक्षण-अधिगम कार्य संचालित करने के उद्देश्य से विकसित की गयी है, जिसमें शिक्षकों द्वारा साप्ताहिक शिक्षण योजना निर्मित कर अंकित किये जाने तथा तद्नुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्रियान्वित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपर्युक्त उल्लिखित पंजिकाओं में से शिक्षक डायरी को छोड़कर पूर्व में समेकित की गयी आय-व्ययक पंजिका एवं चेक इश्यू पंजिका सहित निम्नांकित विवरणानुसार 12 पंजिकाओं का उपयोग वास्तविक समय (रियल टाइम) करने के उद्देश्य से इन पंजिकाओं का डिजिटाइजेशन कराये जाने का निर्णय लिया गया है:-

क्रम	पंजिका का नाम	क्रम	पंजिका का नाम
1	उपस्थिति पंजिका	7	आय-व्ययकएवं चेक इश्यू पंजिका (बजटवार)
2	प्रवेश पंजिका	8	बैठक पंजिका
3	कक्षावार छात्र उपस्थिति पंजिका	9	निरीक्षण पंजिका
4	एम0डी0एम0 पंजिका	10	पत्र व्यवहार पंजिका
5	समेकित निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका	11	बाल गणना पंजिका
6	स्टॉक पंजिका	12	पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त के दृष्टिगत पूर्व निर्धारित समस्त पंजिकाओं का सरलीकरण, टेक्नोलॉजी आधारित आधुनिकीकरण डिजिटल माध्यम से करने हेतु समस्त पंजिकाओं का डिजिटाइजेशन एवं प्रेरणा पोर्टल पर "डिजिटल रजिस्टर्स" नाम से नया मॉड्यूल राज्य परियोजना कार्यालय, उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, समग्र शिक्षा, उ0प्र0 द्वारा विकसित किया जा रहा है। राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, लखनऊ द्वारा पंजिकाओं का डिजिटाइजेशन किये जाने के उपरान्त इनके प्रयोग आदि के संबंध में शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। डिजिटल रजिस्टर्स का उपयोग विद्यालयों में प्रभावी होने की तिथि से पूर्व की समस्त पंजिकायें विद्यालय स्तर पर अभिलेख के रूप में संरक्षित की जायेंगी। उक्त निर्धारित पंजिकाओं के डिजिटाइजेशन के संबंध में जनपद स्तर पर निम्नवत कार्यवाही अपेक्षित है:-

- विद्यालय स्तर पर कम्प्यूटर/टेबलेट उपलब्ध होने की अवधि तक शिक्षक/प्रधानाध्यापक द्वारा उक्त डिजिटल रजिस्टर्स ऐप का उपयोग अपने मोबाइल/स्मार्टफोन के माध्यम से करते हुए सम्बन्धित सूचनाओं का अंकन किया जायेगा।
- खण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिलाधिकारी एवं राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा पंजिकाओं से संबंधित सूचनाओं का अवलोकन "प्रेरणा" ऐप पर किया जायेगा।
- पंजिकाओं के डिजिटाइजेशन के उपरान्त पंजिकाओं के किसी भी भौतिक स्वरूप का उपयोग विद्यालय या अन्य किसी स्तर पर नहीं किया जायेगा।
- प्रेरणा पोर्टल के नये डिजिटल रजिस्टर्स माड्यूल में डिजिटल की गई पंजिकाओं में अंकित विवरण ही प्रमाणित माने जायेंगे।

कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by दीपक कुमार
Date: 20-07-2023 10:52:47
Reason: Approved
(दीपक कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
2. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ।
3. निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. शिक्षा निदेशक (बेसिक), बेसिक शिक्षा निदेशालय, लखनऊ, उ0प्र0।
5. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, निशातगांज, लखनऊ, उ0प्र0।
6. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज।
7. वित्त एवं लेखाधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
8. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उ0प्र0।
9. गार्डफाईल।

आज्ञा से,

ह0/-

(अवधेश कुमार तिवारी)
विशेष सचिव।